निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-20/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.05.17 से 20.05.17 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-II

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0गुप्ता, एवं नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.16 से 15.06.16 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/15 से 03/16 तक एवं व्यय हेतु माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/16 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - देहरादून

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	5662.15
2015-16	4916.27
2016-17	3992.85

(ii)(ब) **बजट का विवरण:-**

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य** (+)`	**बचत** (-)`
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2014-15								
2015-16								
2016-17								

(स) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
← शून्य →					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव वत्त> महानिरीक्षक निबंधन> अपर महानिरीक्षक निबंधन> सहायक महानिरीक्षक निबंधक> उप निबंधक> मुख्य निबंधन ल पक> निबंधन ल पक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण सदर तहसील, लेखपत्रो कार्यालय कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कार्यालय कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह कया गया।

राजस्व: माह 03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।**(राजस्व प्राप्ति शून्य**)

व्यय: डी0डी0ओ0 का कार्य नही किया जा रहा है।

(vii) योजना का चयन :- **शून्य**

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1,2

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 01

प्रस्तर-1 स्टाम्प शुल्क की कमी से राजस्व क्षति ` 1,700

भारतीय स्टाम्प अ धनियम, 1899 की अनुसूची एक खा 23 के अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण प्रतिफल की उल्लि खत रकम या मूल्य या उस सम्प त्त का जो ऐसे हस्तान्तरण की वषयवस्तु है, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अ धक हो उस पर स्टाम्प शुल्क देय है ।

अ धसूचना संख्या 297 दिनांक 31 मई, 2011 के अन्तर्गत अचल सम्प त्त के हस्तान्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 5% की दर से लये जाने का प्रावधान है ।

उत्तराखण्ड शासन, वत्त अनुभाग-9 की अ धसूचना संख्या- XXVII(9)/2013/स्टाम्प-53/2009 दिनांक 26 जुलाई, 2013 के अनुसार वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अ धक स्त्रियों के पक्ष में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्प त्त के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक कमी कये जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क निम्न ल खत वलेख पत्र के पंजीकरण में कम स्टाम्प शुल्क लया गया गया, जो क निम्न प्रकार हैः-

(क) बहीं नं0 1 जिल्द- 6896

क्रमांक संख्या 2934 दिनांक 11.07.2016

खाता संख्या- 142 ई0डब्ल्यू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग)

खसरा-

रक्बा- सम्पूर्ण क्षेत्र 19.08 वर्ग मी0 नि र्मत भाग

19 वर्ग मी0

दर- आवासीय सरकारी दर ` 7,500

वक्रय मूल्य- ` 3,81,000

बाजारी मूल्य- ` 3,81,000

स्टाम्प शुल्क- ` 18,000

वक्रेता का नाम- श्रीमती सतवन्त कौर पत्नी श्री अमरजीत

क्रेता का नाम- श्री अ भषेक गर्ग S/o श्री वासुदेव, निवासी- 151 वद्या वहार, फेज-II, देहराखास, देहरादून

सम्प त्त का ववरण- सम्प त्त भवन संख्या- 142, ई0डब्ल्यू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग), एम0डी0डी0ए0 कालोनी, केदारपुरम्, जिला- देहरादून ।

देय स्टाम्प शुल्कः- ` 3,81,000 x 5% = ` 19,050

अदा कया गया स्टाम्पः- ` 18,000

स्टाम्प शुल्क कमी ` 1,050

(ख) बहीं नं0 1 जिल्द- 6887 के पृष्ठ 261 से 286

क्रमांक संख्या 2804 दिनांक

खाता संख्या- 72

खसरा- 10 क

रक्बा- 80 वर्ग मी0

दर- ` 5,600 + ` 280 = ` 5880 प्रति वर्गमीटर की दर से

वक्रय मूल्य- ` 8,20,000

बाजारी मूल्य- ` 8,20,000

स्टाम्प शुल्क- ` 30,100

वक्रेता का नाम- उर्वशी पुत्री श्री चन्द्रवीर संह निवासी सेवला कलां, परगना- केन्द्रीय दून, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड (PAN- AARPU6367P) द्वारा अपने पंजीकृत मुख्तारेआम एवं पता श्री चन्द्रवीर संह राणा पुत्र स्व0 श्री रघुवीर संह निवासी सेवला कलां, परगना- केन्द्रीयदून, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड ।

क्रेता का नाम- श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट पत्नी श्री राजवीर बिष्ट, निवासी- वार्ड नं0 11, हरभजवाला, पो0आ0 मेहूंवाला माफी, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड

भू म का प्रकार- आवासीय

देय स्टाम्प शुल्कः- ` 8,20,000 x 3.75% = ` 30,750

अदा कया गया स्टाम्पः- ` 30,100

स्टाम्प शुल्क कमी ` 650

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क सम्बन्धित स्टाम्प कमी की वसूली के सन्दर्भ में समु चत कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः स्टाम्प शुल्क ` 1,700 की कमी का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
274/95-96	-	1
230/97-98	**-**	**1**
311/99-100	**-**	**1**
285/2001-02	**-**	**1,2**
295/2002-03	**1**	**-**
24/2004-05	**-**	**1**
30/2005-06	**-**	**1**
01/2007-08	**-**	**1,2**
02/2008-09	**-**	**1,2,3**
51/2008-09	**-**	**2**
32/2009-10	**-**	**1**
15/2014-15	**1**	**1,2**
30/2015-16	**1,2**	**1,2,3**

व्यय से संबन्धित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----

2. **सतत् अनियमितताएः** (राजस्व एवं व्यय से संबन्धित): ----शून्य-----

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री रामदत्त मश्रा	उप निबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र